



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट -सी संख्या - 6368/2026

श्रीमती गीता एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. सूची पुनः प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय उपस्थित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2-उप जिलाधिकारी (सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट), तहसील-ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद द्वारा याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उप-धारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस के विरुद्ध दायर की गई है। उपरोक्त नोटिस द्वारा याचिकाकर्ता को निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

3. उपरोक्त से गुजरने के पश्चात, न्यायालय प्रथम दृष्टया इस राय का है कि उपरोक्त नोटिस से याचिकाकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है और नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विधेय नहीं है।

4. चूँकि इस रिट याचिका पर प्रेस करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, रिट याचिका अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”